

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।  
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी  
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801  
(कार्यालय)  
2442462 (विद्यार्थी)  
फैक्स : (0091-0751) 2441768  
E-mail :  
jureg\_gwl@rediffmail.com  
Website :  
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :  
कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2011/ 4107

दिनांक : 26-11-11

## // अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 01 नवम्बर, 2011 के तद क्रमांक (02) के निर्णयानुसार के. एस. महाविद्यालय, मुरैना को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.ए. - प्रथम वर्ष (आ.पा., हिन्दी सा., संस्कृत, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास), बी.एस.सी. - प्रथम वर्ष (जीव विज्ञान, गणित, रसायन, भौतिकी, आ.पा.) एवं बी.कॉम. प्रथम पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है।

### शर्तें/प्रतिबंध :-

1. संस्था निर्धारित अवधि में स्वयं की भूमि क्रय करके स्वयं का भवन निर्माण करावे। अथवा आवश्यकता के अनुरूप भवन क्रय कर लिया जावे।
2. खेल का मैदान विकसित किया जावे।
3. प्राचार्य टीचिंग एवं नॉन टीचिंग की नियुक्तियों परिनियम 2S(17) में कर ली जावे।
4. पुस्तकालय हेतु प्रत्येक पाठ्यक्रम के प्रत्येक सेमिस्टर हेतु विभिन्न विषयों की कम से कम 25 हजार रु. की पुस्तकें क्रय कर ली जावे।
5. विज्ञान प्रयोगशाला हेतु प्रत्येक विषय में कम से कम 50 हजार के उपकरण एवं अन्य सामग्रीयाँ क्रय कर ली जावे। परिनियम 27.28 का पालन किया जावे।

सीट संख्या:- बी.ए. (80 सीट) बी.एस.सी. (60 सीट) बी.कॉम. (80 सीट)

आदेशानुसार  
  
कुलसचिव

### प्रति,

1. प्राचार्य, के. एस. महाविद्यालय, मुरैना।
2. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुरा भवन, भोपाल।
3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
4. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहा-कुलसचिव (सम्बद्धता)